न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—343/2016/223 (2016/00343)

1. श्रीतमी चंदा उर्फ चांद पत्नि स्व0 प्रेमनारायण,
2. ज्योति पुत्र स्व0 प्रेमनारायण,
3. नीतूसिंह पुत्री स्व0 प्रेमनारायण,
   समस्त जाति दरोगा, निवासी शोकलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 जयकिशन,
2. जमनी बेवा जयकिशन,
   समस्त जाति दरोगा, नि0 शोकलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार ।
4. रामकिशन पुत्र रघुनाथ,
5. मीनाक्षी पत्नि सुरेन्द्रसिंह,
   समस्त जाति दरोगा, नि0 शोकलिया, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व विरूद्व निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 29.4.2016 अंतर्गत वाद संख्या 116/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 24.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.2016 के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत खातेदारी घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 व प्रफोर्मा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 486 के खसरा नंबर 557 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुम0 चाह, खाता संख्या 492 के खसरा नंबर 1224 रकबा 0.04 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खाता संख्या 485 के खसरा नंबर 549, 550, 551, 551/2491, 552, 553, 555, 556, 1234, 1248 कुल किता 10 कुल रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा, खाता संख्या 484 खसरा नंबर 2575/549

रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2576/551 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम शोकलिया, तह0 सरवाड़ में स्थित है जो जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 से स्पष्ट है । वाद में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 557 जो जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में सत्यनारायण बालिग व प्रेमनारायण नाबालिग बसरवराही मु0 जमनी माता 1/2 हिस्सा व रामकिशन पुत्र रघुनाथ 1/2 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है, इसी प्रकार खसरा नंबर 1224 में भी सत्यनारायण बालिग व प्रेमनारायण नाबालिग पुत्र जयकिशन बसरबराही मु0 जमनी माता 3 हिस्सा रामकिशन पुत्र रघुनाथ 3 हिस्सा व मिनीक्षी पत्नि सुरेन्द्रसिंह 3 हिस्सा दर्ज है, इसी प्रकार खाता संख्या 485 कुल किता 10 कुल रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा में सत्यनारायण बालिग प्रेमनारायण नाबालिग बसरबराही मु0 जमनी माता खातेदारी दर्ज है तथा आराजी खाता संख्या 484 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा, सत्यनारायण, प्रेमनारायण पुत्रान जयकिशन सहखातेदारान दर्ज है । प्रेमनारायण बालिग हो चका है जिसका नामांतकरण संख्या 1272 के द्वारा नाबालिग से बालिग का अंकन दिनांक 11.6.2004 को हो चुका है । इस प्रकार उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड की स्थिति थी । प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजी में कोई हिस्सा दर्ज नहीं है इसके बावजूद गलत व विधि विरूद्ध रूप से वाद वर्णित आराजियात में कोई हिस्सा नहीं होने के बावजूद जरिये रिलीजडीड अपना हिस्सा बताते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के हक में रिलीज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 2 का नाम प्रेमनारायण की सरंक्षक बसरबराही के रूप में अंकन था न कि खातेदार के रूप में था । इस रिलीजडीड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा वादीगण को यह धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 2 ने मेरे हक में रिलीज डीड कर दी है और आयंदा विवादित आराजी व चाह पर पैर मत रखना । अंत में वादी/अपीलांट ने वाद में चाहे अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 29.4.2016 के द्वारा वाद के विपरीत जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार नहीं होना मानकर उसी अनुसार बंटवारे का अधिकारी होना नहीं मानते हुए वाद खारिज कर दिया साथ ही धारा 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत 1/3 हिस्से का अधिकारी होना मानकर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित कर दिये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पूर्व में दर्ज राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज कर अपीलांट के 1/2 हिस्से के खातेदारी वाद को खारिज कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/3 हिस्से के बंटवारा की डिक्री पारित करने में भूल की है । प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अपनी ओर से कोई शहादत प्रस्तुत की है और न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की थी तथा न ही किसी साक्ष्य से 1/2 के दर्ज राजस्व रिकार्ड को गलत साबित किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मौखिक कथनों तथा रिलीजडीड के आधार पर दर्ज वर्तमान राजस्व रिकाउ्र के अनुसार वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त करने के प्रावधान धारा 63 में अंकित किये गये है कि किन–किन आधारों पर खातेदारी समाप्त की जा सकती है उसमें रिलीजडीड के आधार पर खातेदारी समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा राज0काश्त0अधि0 एक

विशेष अधिनियम है और उस अधिनियम में अगर कोई रिली डीड से खातेदारी समाप्त करने का प्रावधान नहीं है तो खातेदारी समाप्त नही की जा सकती थी इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 2 जिसका राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं है उसके द्वारा रिलीज डीड करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और यदि खातेदार भी हो तो भी रिलीज डीड से खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज डीड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है उसको आधार मानकर वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि दावा व जवाबदावा के आधार पर जो तनकी संख्या 1 कायम की गई उसको वादीगण/अपीलांट ने जमाबंदी से सिद्ध किया है जिसमें सत्यनारायण तथा प्रेमनारायण जो नाबालिग था और जिसकी सरंक्षक के रूप में जमनी बेवा जयकिशन का नाम था जिसमें जमनी का कहीं भी खातेदारी का इंद्राज नहीं है और अगर प्रतिवादी संख्या 2 जमनी उक्त रिकार्ड को गलत मानती है तो उसे पहले चाराजोही करनी चाहिये थी । इसी प्रकार तनकी संख्या 2 जो कायम की गई थी वो वादी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से सिद्ध हो चुकी थी कि राजस्व रिकार्ड में केवल सत्यनारायण तथा प्रेमनारायण नाबालिग जरिये बसरबराही माता जमनी बेवा जयकिशन दर्ज है । जमनी का कोई हिस्सा अलग से दर्ज नहीं था इसलिये जमनी के द्वारा अगर किसी प्रकार का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज किया गया है तो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है । इसलिये हक त्याग के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन भी हो गया है तो उससे किसी प्रकार के हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअदांज कर तनकी संख्या 2 को गलत रूप से निर्णित की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 को भी गलत निर्णित किया है क्योंकि रिलीज डीड को निरस्त करने हेतु वादी ने कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है और न ही राज0काश्त0अधि0 में रिलीजडीड से किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्राप्त होते है । जब रिलीज करने वाला खातेदार ही नहीं है तो ऐसी रिलीज डीड के आधार पर जो भी राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है वह प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । आगे कथन किया कि खाता संख्या 484 कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा जो सत्यनारायण व प्रेमनारायण पुत्रान जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज रही है उसमें कहीं भी जमनी का नाम दर्ज नहीं है और न ही उक्त आराजी को पैतृक साबित किया है इसके बावजूद उक्त आराजी जो 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज थी उक्त आराजी में से किस प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 ने कोई रिलीजडीड नहीं किया है इसके बावजूद चरण संख्या 'ब' में वर्णित आराजी में किस प्रकार से जमनी का 1/3 हिस्सा है जो साबित नहीं था इसके बावजूद उक्त आराजी में वादीगण/अपीलांटस का 1/2 हिस्सा के बजाय 1/3 हिस्सा की डिक्री पारित की जो भी गलत है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याा0 ने दिनांक 29.4.2016 के द्वारा संपूर्ण आराजी को वाद के विपरीत जाकर 1/2 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्से की डिक्री पारित की थी जिस पर प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 जा0दी0 दिनांक 27.6.2016 को अधी0न्याया0 में पेश किया था जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली नियत रही और अंत में दिनांक 8.8.2016 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इस

कारण अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की अपील उपरोक्त कारणों से पेश नहीं की जा सकी थी तथा उक्त समयावधि वैधानिक उपचार की कार्यवाही में लगी इसी कारण बिना विलंब यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील में हुआ विलंब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलाधीन भूमि जयकिशन की खातेदारी भूमि थी उनके मरणोपरांत सत्यनारायण, प्रेमनारायण व उनकी पत्नि श्रीमती जमनी को प्राप्त हुई । अपीलाधीन भूमि में तीनों का बराबर–बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा है । श्रीमती जमनी द्वारा अपने हक व हिस्से की खाता संख्या 485 की 1/3 हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध हक त्याग पत्र रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र जयकिशन के हक में हक त्याग कर दिया। तत्पश्चात् पंजीबद्ध हक त्याग के आधार पर नामांतकरण संख्या 1344 दिनांक 5.2.2011 स्वीकृत कर जमनी के स्थान पर जमनी के हक व हिस्से की भूमि सत्यनारायण के खाते में दर्ज की गई । जिसकी पुष्टि में प्रदर्श पी–2 जमाबंदी अभिलेख पर प्रस्तुत है । इसी प्रकार प्रदर्श पी–1 खाता संख्या 484 में भी श्रीमती जमनी का 1/3 हिस्सा है यह भूमि पुश्तैनी भूमि है परन्तु माता श्रीमती जमनी का नाम सहवन से दर्ज नहीं किया गया । गलत तौर से आधी भूमि सत्यनारायण की व आधी भूमि प्रेमनारायण की दर्ज की गई जो गलत है जबकि 1/3, 1/3 हिस्सा सत्यनारायण, प्रेमनारायण व श्रीमती जमनी का है । स्वंय वादिया द्वारा इस तथ्य को अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अपीलाधीन भूमियां पुश्तैनी है तथा भूमिया जयकिशन की थी जिसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है । अपने कथनों के संदर्भ में 2013 (2) आर0आर0टी0 पेज 1128 पेश की जिसके अनुसार स्वीकृति के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है । डब्ल्यू0एल0सी0 1997 (1) पेज 113 हेडनोट बी–स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य है । आर0बी0जे0 2012 पेज 218 पेश कर कथन किया कि सहहिस्सेदार अपने हिस्से को दूसरे सहहिस्सेदार के पक्ष में हक त्याग कर सकता है । आर0आर0टी0 2016 पेज 1129 पेश कर कथन किया कि पंजीबद्ध हक त्याग पत्र को राजस्व न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता है । एवं कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायाहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0 न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–1 जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 484 में 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि सत्यनारायण व प्रेमनारायण पि0 जयकिशन खातेदार दर्ज है तथा प्रेमनारायण के स्वर्गवास के बाद नामांतकरण संख्या 1337 दिनांक 20.12.2010 से प्रेमनारायण के स्वर्गवास के वादीगण का नाम प्रेमनारायण के हिस्से की भूमि पर दर्ज किया गया। प्रदर्श पी–1 में अंकित भूमि पुश्तैनी भूमि हो इस संबंध में पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजस्व अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श पी–1 जमाबंदी खाता संख्या 484 के खसरा संख्या 2575/549 रकबा 9–8–0, खसरा नंबर 2576/551 रकबा 5–0–0 बीघा कुल रकबा 14–8–0 के अनुसार अपीलाधीन भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण का 1/2 हिस्सा प्रमाणित होता है । इसी प्रकार प्रदर्श पी–2 जमाबंदी खाता संख्या 485 के खसरा

संख्या 549 रकबा 7–5–0, खसरा नंबर 550 रकबा 0–14–0, खसरा नबर 551 रकबा 9–2–0, खसरा नंबर 551/2491 रकबा 1–15–0, खसरा नंबर 552 रकबा 0–3–0, खसरा नंबर 553 रकबा 1–13–0, खसरा नंबर 555 रकबा 4–5–0, खसरा नंबर 556 रकबा 2–11–00, खसरा नंबर 1234 रकबा 3–14–0, खसरा नंबर 1248 रकबा 1–16–0 कुल रकबा 32–18–00 बीघा भूमि में सत्यनारायण रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रेमनारायण का 1/3 हिस्सा एवं श्रीमती जमनी जो कि जयकिशन की पत्नि व सत्यनाराण व प्रेमनारायण की माता है । वादिया स्वंय की जिरह के अनुसार यह भूमियां जयकिशन की भूमियां थी एवं जयकिशन के मरणोपरांत सत्यनारायण, प्रेमनारायण व श्रीमती जमनी जो कि जयकिशन की पत्नि है का 1/3 हिस्सा प्रमाणित होता है । प्रेमनारायण का स्वर्गवास होने पर उसके 1/3 हिस्से की भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 1337 दिनांक 20.12.2010 वादीगण के नाम स्वीकृत हुआ एवं रेस्पो0 संख्या 2 जमनी के द्वारा उसके हक व हिस्से की 1/3 भूमि जरिये पंजीबद्ध हक त्याग पत्र के रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण के पक्ष में हक त्याग किया गया जिसके अनुसार नामांतकरण संख्या 1344 दिनांक 5.2.2011 श्रीमती जमनी के स्थान पर सत्यनारायण के नाम दर्ज कर खातेदार दर्ज किया गया । पंजीबद्ध हक त्यागपत्र को वादिया द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया गया है । इस प्रकार प्रदर्श पी–2 जमाबंदी के खाता संख्या 485 कुल रकबा 32–18–00 में रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण का 2/3 हिस्सा एवं वादी/अपीलांट का 1/3 हिस्सा प्रमाणित होता है । शेष दो खसरा नंबर 557 व 1224 कुआं है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता है । जमाबंदी में दर्ज अनुसार काश्तकारान का हिस्सा है । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा प्रदर्श पी–1 जमाबंदी के खाता संख्या 484 रकबा 14–8–00 में अपीलांट का 1/2 एवं रेस्पो0 संख्या 1 का 2/3 हिस्सा प्रमाणित होता है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा गलत तौर से इस खाते में अंकित भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा माना है जो विधिसंगत नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा खाता संख्या 485 रकबा 32–18–00 में सही तौर से रेस्पो0 संख्या 1 का 2/3 हिस्सा एवं अपीलांट/वादिया का 1/3 हिस्सा माना है जो विधिसंगत है एवं इसी अनुसार बंटवारा कराये जाने के अधिकारी है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री आंशिक रूप से खाता संख्या 484 रकबा 14–8–00 के संबंध में निरस्त योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.2016 को ग्राम शोकलिया तहसील सरवाड़, जिला अजमेर स्थित भूमि जमाबंदी खाता संख्या 484 के खसरा संख्या 2575/549 रकबा 9–8–0, खसरा नंबर 2576/551 रकबा 5–0–0 बीघा कुल रकबा 14–8–0 की हद तक पारित निर्णय निरस्त किया जाता है तथा इस खाते में अंकित भूमि में अपीलांटस को 1/2 हिस्से का तथा रेस्पो0 संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जमाबंदी खाता संख्या 485 के खसरा संख्या 549 रकबा 7–5–0, खसरा नंबर 550 रकबा 0–14–0, खसरा नबर 551 रकबा 9–2–0, खसरा नंबर 551/2491 रकबा 1–15–0, खसरा नंबर 552 रकबा 0–3–0, खसरा नंबर 553 रकबा 1–13–0, खसरा नंबर 555 रकबा 4–5–0, खसरा नंबर 556 रकबा 2–11–00, खसरा नंबर 1234 रकबा 3–14–0, खसरा नंबर 1248 रकबा 1–16–0 कुल रकबा 32–18–00 बीघा भूमि बाबत् अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखा जाकर अपीलांटस को 1/3 हिस्से तथा रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उपरोक्तानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश प्रदान

करते हुए इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है । पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार, सरवाड़ से उपरोक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे तथा खसरा नंबर 557 व 1124 चाह में जमाबंदी में दर्ज अनुसार पक्षकारान का हक व हिस्सा रहेगा । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर